भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 255

गुरूवार, 08 दिसम्बर, 2022/17 अग्रहायण, 1944 (शक)

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि

255. **श्री नीरज डांगीः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि के कारणों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा रोजगार सृजन के क्षेत्र में राज्यवार क्या-क्या विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे कार्यक्रमों के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है, और इन कार्यक्रमों का देश में रोजगार सृजन के क्षेत्र में कितना प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (ख): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) है जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा कराया जाता है। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैः

वर्ष	**बेरोजगारी दर (यूआर) (% में)**
	ग्रामीण
2018-19	5.0
2019-20	3.9
2020-21	3.3
	शहरी
2018-19	7.6
2019-20	6.9
2020-21	6.7
	अखिल भारतीय
2018-19	5.8
2019-20	4.8
2020-21	4.2

उपरोक्त आंकड़े ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में गिरावट को दर्शाते हैं।

(ग) एवं (घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 28.11.2022 तक, इस योजना के तहत 60.13 लाख लाभार्थियों को 7855.07 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है। इस योजना की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 12 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में है।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इस योजना की प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-III से VI में है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 25.11.2022 तक 15.56 लाख करोड़ रुपए की राशि के 37.76 करोड़ ऋण संवितरित किए गए।

वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों के गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण (दिनांक 28.11.2022 तक)

राज्य का नाम	लाभ प्राप्त प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभ प्राप्त कर्मचारियों की संख्या	लाभ की राशि (रुपये में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36	477	10440088
आंध्र प्रदेश	4025	166059	2420752722
अरुणाचल प्रदेश	17	514	7695682
असम	659	19751	251842299
बिहार	1205	27951	536285812
चंडीगढ़	1575	64467	825507811
छत्तीसगढ़	2929	84814	1277727436
दिल्ली	3128	225942	2600761397
गोवा	538	20812	257173589
गुजरात	15484	641689	7926927603
हरियाणा	7604	397214	4891960983
हिमाचल प्रदेश	2151	83058	1080950623
जम्मू और कश्मीर	885	19339	353947749
झारखंड	2232	62492	988623112
कर्नाटक	10933	483494	6819897938
केरल	2716	95923	1498070508
लद्दाख	16	186	2700520
मध्य प्रदेश	6202	203996	2996968611
महाराष्ट्र	22336	974021	11850426286
मणिपुर	56	1409	19164182
मेघालय	37	1208	39353660
मिजोरम	15	377	12186286
नागालैंड	17	234	3810125
ओडिशा	4176	89023	1480502196
पंजाब	6507	170237	2730109727
राजस्थान	11412	325050	4372944891
सिक्किम	112	3763	62250988
तमिलनाडु	16615	812807	9216213749
तेलंगाना	5349	281114	3132822902
त्रिपुरा	150	5440	82010593
उत्तर प्रदेश	12350	430552	6612895982
उत्तराखंड	2409	93180	1231273130
पश्चिम बंगाल	7654	226239	2956537510
सकल योग	**151,530**	**6,012,832**	**78,550,736,690**

स्रोतः ईपीएफओ, एमओएलई।

अनुबंध -II

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएम-स्वनिधि के तहत प्राप्त, स्वीकृत और वितरित किए गए राज्यवार आवेदन (दिनांक 02.12.2022 तक)

राज्य का नाम	कुल आवेदन प्राप्त हुए	आवेदन स्वीकृत	संवितरित
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	882	724	637
आंध्र प्रदेश	333845	258325	228183
अरुणाचल प्रदेश	6643	4400	3310
असम	96537	77916	65989
बिहार	117344	68256	53815
चंडीगढ़	7814	5543	5033
छत्तीसगढ़	111534	65668	55728
दिल्ली	128357	83464	58396
गोवा	2588	1839	1705
गुजरात	411627	298460	267037
हरियाणा	69484	44793	36222
हिमाचल प्रदेश	6867	5536	5244
जम्मू और कश्मीर	26928	20096	17951
झारखंड	66678	40855	34840
कर्नाटक	305464	226554	190431
केरल	19804	15951	14941
लद्दाख	598	489	457
मध्य प्रदेश	884350	683324	613871
महाराष्ट्र	486415	337168	253809
मणिपुर	20260	11446	9480
मेघालय	1878	1553	1304
मिजोरम	992	642	616
नागालैंड	3450	2297	1942
ओडिशा	80486	57216	41886
पंजाब	110826	54526	47227
राजस्थान	159319	88170	71266
सिक्किम	5	1	1
तमिलनाडु	425452	248190	208255
तेलंगाना	621563	519353	447135
त्रिपुरा	6155	4531	3742
उत्तर प्रदेश	1244003	1064354	994719
उत्तराखंड	25870	17197	15470
पश्चिम बंगाल	34236	16877	14507
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2991	1737	1380
पुदुचेरी	2432	1906	1678
योग	**5823678**	**4329357**	**3768207**

स्रोतः (https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/)

अनुबंध -III

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनयूएलएम (पिछले पांच वर्षों [2017-18 से 2021-22] के दौरान) के तहत व्यक्तिगत/सामूहिक सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और केंद्रीय निधि जारी करने के लिए सहायता प्राप्त कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की राज्य-वार संख्या और लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	नियोजित कौशल उम्मीदवारों की संख्या	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	केन्द्रीय कोष जारी किया (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	66898	64031	283.69
2	अरुणाचल प्रदेश	949	74	25.83
3	असम	4537	3216	82.69
4	बिहार	6416	7584	104.50
5	छत्तीसगढ	14160	27626	87.44
6	गोवा	2743	234	17.63
7	गुजरात	38349	15148	166.27
8	हरियाणा	12146	3982	54.39
9	हिमाचल प्रदेश	2533	2519	36.96
10	जम्मू और कश्मीर	564	10413	26.60
11	झारखंड	32031	6744	107.06
12	कर्नाटक	1393	6637	71.61
13	केरल	13476	8022	131.16
14	मध्य प्रदेश	67020	51306	230.60
15	महाराष्ट्र	92498	35332	160.52
16	मणिपुर	422	7	16.71
17	मेघालय	984	73	3.79
18	मिजोरम	3304	1403	56.52
19	नागालैंड	422	277	30.24
20	ओडिशा	461	25165	81.11
21	पंजाब	20246	5887	45.60
22	राजस्थान	11602	20695	177.56
23	सिक्किम	246	31	6.97
24	तमिलनाडु	10174	212217	444.06
25	तेलंगाना	15050	8584	159.97
26	त्रिपुरा	783	930	50.79
27	उत्तर प्रदेश	34258	44550	351.88
28	उत्तराखंड	5461	4948	31.12
29	पश्चिम बंगाल	21461	6767	172.38
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	4	0.28
31	चंडीगढ़	2622	74	10.57
32	दिल्ली	325	151	0.00
33	पुदुचेरी	56	347	12.11
34	लद्दाख	0	21	2.10
35	दादर एवं नगर हेवली, दमन एवं दीव	0	0	0.17
	कुल	**4,83,590**	**5,74,999**	**3,240.88**

स्रोत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अनुबंध -IV

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सृजित रोजगार का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	अनुमानित सृजित रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 30.11.2022 तक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1832	744	1240	1296	536
2	आंध्र प्रदेश	17760	17536	13392	19816	13216
3	अरुणाचल प्रदेश	2240	1688	784	1568	632
4	असम	29896	20824	23512	30840	8816
5	बिहार	26424	17768	17536	19816	11000
6	यूटी चंडीगढ़	224	112	80	168	40
7	छत्तीसगढ	24752	22488	21744	24160	9264
8	दिल्ली	1056	744	592	800	384
9	गोवा	624	720	464	696	256
10	गुजरात*	28000	31864	22832	33144	15368
11	हरियाणा	17320	16232	13920	13808	6584
12	हिमाचल प्रदेश	11192	9808	9664	10192	2968
13	जम्मू और कश्मीर	60232	42840	68600	173184	58104
14	झारखंड	14376	12352	12176	13712	4512
15	कर्नाटक	29256	29576	35504	47016	25984
16	केरल	19888	19368	19112	22312	9000
17	लक्षद्वीप	0	0	24	56	16
18	मध्य प्रदेश	20208	17644	38832	64656	17656
19	महाराष्ट्र**	45136	35232	24832	33024	15752
20	मणिपुर	10328	9384	12448	9112	2472
21	मेघालय	3120	3016	2872	5592	744
22	मिजोरम	8984	6080	6480	5200	2336
23	नागालैंड	9664	8872	5920	9928	2648
24	ओडिशा	24560	21744	25368	34408	11848
25	पुदुचेरी	608	512	352	528	176
26	पंजाब	14408	13560	13216	14288	6920
27	राजस्थान	18872	24200	22176	20776	7920
28	सिक्किम	440	632	456	680	192
29	तमिलनाडु	41480	14376	41504	47776	25408
30	तेलंगाना	16408	17424	16200	23248	7976
31	त्रिपुरा	9432	7696	6736	7664	2904
32	उत्तर प्रदेश	41944	48960	79952	100752	46808
33	उत्तराखंड	17448	14752	17992	14688	6112
34	पश्चिम बंगाल	19304	17776	16560	18440	9040
35	यूटी लद्दाख	-	-	2248	2360	560
	योग	**587416**	**533224**	**595320**	**825704**	**334152**

स्रोतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

* दमन और दीव सहित

** दादरा और नगर हवेली सहित

अनुबंध -V

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पं. दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अन्तर्गत प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार में रखे गये अभ्यर्थियों की कुल संख्या का राज्यवार एवं वर्षवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य	वि.व. 19-20		वि.व. 20-21		वि.व. 21-22		वि.व. 22-23	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	15,933	10,795	4,156	2,177	1606	2135	26	38
2	अरुणाचल प्रदेश	84	0	28	33	233	71	52	7
3	असम	11,993	13,862	1,966	3,296	3553	916	1564	119
4	बिहार	14,301	5,916	2,687	2,745	7099	2491	2332	48
5	छत्तीसगढ	9,798	3,842	1,109	3,683	6499	2883	1721	63
6	गुजरात	3,084	2,249	240	875	830	599	269	4
7	हरियाणा	1,948	6,013	26	1,213	1772	680	771	75
8	हिमाचल प्रदेश	1,980	1,073	0	117	334	10	392	8
9	जम्मू और कश्मीर	10,516	1,319	3,454	1,945	2300	1102	848	21
10	झारखंड	12,866	8,224	1,050	1,879	4035	1354	1082	133
11	कर्नाटक	5,797	7,226	769	1,649	1442	673	700	14
12	केरल	12,812	8,390	3,053	2,931	3219	1097	779	125
13	मध्य प्रदेश	10,433	7,348	903	969	6825	3977	2737	267
14	महाराष्ट्र	13,521	12,765	874	3,319	348	1612	235	3
15	मणिपुर	1,780	573	338	387	811	139	35	7
16	मेघालय	1,518	686	83	158	456	241	359	0
17	मिजोरम	554	359	37	88	105	94	135	0
18	नागालैंड	1,220	403	221	278	1009	614	314	0
19	ओडिशा	43,278	30,607	7,978	7,729	10474	4828	2491	420
20	पंजाब	2,002	1,311	2,922	1,931	6976	4188	1601	787
21	राजस्थान	14,530	4,692	981	1,759	3096	3130	448	9
22	सिक्किम	462	32	0	43	90	0	50	12
23	तमिलनाडु	9,685	3,324	213	1,286	8228	2941	2835	257
24	तेलंगाना	9,731	6,839	2,752	1,436	3177	2494	249	1
25	त्रिपुरा	1,407	524	21	609	1049	193	373	17
26	उत्तर प्रदेश	24,895	7,341	1,540	4,068	16898	3765	5972	246
27	उत्तराखंड	1,518	672	367	416	3645	917	1042	270
28	पश्चिम बंगाल	9,531	3,829	521	2,544	732	2424	879	3
29	पुदुचेरी					165	44	0	0
	योग	**247,177**	**150,214**	**38,289**	**49,563**	**97006**	**45612**	**30291**	**2954**

स्रोतः ग्रामीण विकास मंत्रालय (**https://kaushalpragati.nic.in**)

अनुबंध -VI

राज्य सभा के दिनांक 08.12.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण- सृजित व्यक्ति-दिवस रोजगार - महात्मा गांधी नरेगा

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 30.11.2022 तक
1	आंध्र प्रदेश	2,466	2,002	2,593	2418	1,819
2	अरुणाचल प्रदेश	69	86	128	159	63
3	असम	533	623	912	919	554
4	बिहार	1,234	1,416	2,276	1,814	1,801
5	छत्तीसगढ	1,386	1,362	1,841	1,692	433
6	गोवा	0.1	0.3	1	0.9	0.5
7	गुजरात	420	354	482	568	342
8	हरियाणा	78	91	180	146	66
9	हिमाचल प्रदेश	285	259	336	371	210
10	जम्मू और कश्मीर	368	313	407	406	115
11	झारखंड	537	642	1,176	1,132	528
12	कर्नाटक	1,045	1,119	1,480	1,641	937
13	केरल	975	802	1,023	1,060	564
14	लद्दाख	NA*	19	21	19	11
15	मध्य प्रदेश	2,029	1,930	3,420	3,001	1,671
16	महाराष्ट्र	846	630	679	825	567
17	मणिपुर	117	234	331	306	25
18	मेघालय	342	370	384	394	120
19	मिजोरम	181	192	199	201	134
20	नागालैंड	133	138	180	193	172
21	ओडिशा	830	1,114	2,081	1,978	1,287
22	पंजाब	204	235	377	332	219
23	राजस्थान	2,942	3,287	4,605	4,243	2,054
24	सिक्किम	34	29	37	34	20
25	तमिलनाडु	2,577	2,485	3,339	3,457	2,155
26	तेलंगाना	1,177	1,071	1,580	1,458	1,035
27	त्रिपुरा	253	344	437	426	233
28	उत्तर प्रदेश	2,121	2,444	3,945	3,259	2,364
29	उत्तराखंड	222	206	304	243	134
30	पश्चिम बंगाल	3,383	2,723	4,140	3,642	370
31	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	2	2	3	1	0.6
32	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0
33	दमन और दीव	0	0	0	0	0
34	लक्षद्वीप	0.1	0.04	0.02	0.008	0.018
35	पुदुचेरी	7	8	11	6	5.66
	कुल	**26,796**	**26,530**	**38,908**	**36,345**	**20,014**

#हो सकता है पूर्णांकन के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय